न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61 / 17 GCMS id : 2017 / 00132

अमरा उर्फ अमरलाल आत्मज डूंगा, जाति चारण, निवासी ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A, 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955

उपस्थिति : श्री दयाराम सेन, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.08.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व निषेधाज्ञा, न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

2- वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

- वादी को ग्राम हीरापुर, पटवार हल्का मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर का आवंटन, उप जिला कलक्टर, कोटा द्वारा 22.06.1989 को समीपवर्ती भूमि होने के कारण आवंटन किया जाकर तथा पट्टा दिया जाकर भूमि पर कब्जा दिया गया है।
- उक्त आराजी का वादी के नाम गैरखातेदारी का नामान्तरकरण 65 दिनांक 24.05.1990 को तस्दीक कर गैरखातेदारी अधिकार दिये जाकर उक्त आराजी को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किया गया है।
- वादी उक्त आराजी पर वक्त आवंटन से ही बहैसियत गैरखातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है।
- वादी की जाति चारण है तथा उसने अपना आवंटन का प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी उसकी जाति चारण अंकित है तथा उसी आधार पर भूमि के आवंटन पट्टा में वादी की जाति चारण दर्ज है।
- वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 24.05.1990 को तस्दीक किया गया है। उसमें उसकी जाति भांभी दर्ज कर दी गई है जबकि भांभी कोई जाति ही नहीं होती है और ना ही वादी भांभी जाति का सदस्य है।
- वादी ग्रामीण व्यक्ति है तथा पढा लिखा नहीं होने के कारण वह उक्त त्रुटि को नहीं समझ पाया और उक्त त्रुटि लगातार राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है जसको दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है।
- अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की गैरखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति भांभी के स्थान पर सही जाति चारण दर्ज किये जाने तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करें।
- वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1	आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1989
प्रदर्श–2	नकल नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 24.05.1990
प्रदर्श–3A	फोटोप्रति पहचान पत्र संख्या SVS0885186 भारत निर्वाचन आयोग
प्रदर्श–4A	फोटोप्रति आधार कार्ड संख्या 3714 7791 9656 अमरलाल

Amra.Sarkar

प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075
प्रदर्श–6 नकल मानचित्र सन् 1978–79
प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी संवत 2072–2073
प्रदर्श–8 खसरा गिरदावरी संवत 2072–2073

3- प्रकरण में यद्यपि प्रतिवादी सरकार जर्ये, तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथापि प्रकरण के विधिरांगत निस्तारण हेतु न्यायालय के पत्र के माध्यम से जाति के सम्बन्ध में चाही गई जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि –

- खातेदार अमरा पुत्र डूंगा मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम हीरापुर खाता संख्या 3 में अमरलाल पुत्र डूंगा की जाति चारण दर्ज है।
- मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि अमरलाल उर्फ अमरा पुत्र डूंगा की जाति चारण है।
- संलग्न पट्टे में प्रार्थी को ग्राम हीरापुर में आवंटित खसरा नम्बर 92 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि में भी जाति चारण दर्ज है।
- मुताबिक आवंटन पट्टा दिनांक 22.06.1989 के नामान्तरकरण संख्या 65 दर्ज करते समय अमरा की जाति चारण के स्थान पर भांभी दर्ज होना प्रतीत होता है जबकि प्रार्थी खातेदार की जाति चारण दर्ज होनी चाहिये थी।
- ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि मौके पर वर्तमान में अमरलाल उर्फ अमरा के वारिसान का ही होना बताया है जो समीपवर्ती खसरा नम्बर 86 में शामिल हो चुकी है।
- अतः मुताबिक आवंटन पत्र दिनांक 22.06.1989 के आधार पर एवं ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हीरापुर के खाता संख्या 4 के खसरा नम्बर 92 व 86/468 पर खातेदार की जाति चारण किया जाना प्रस्तावित है।

4- प्रकरण में वादी अभिभाषक द्वारा अपनी एकपक्षीय बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि –

- उप जिला कलक्टर, कोटा द्वारा दिनांक 22.06.1989 को ग्राम हीरापुर में वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 86 के समीप स्थित खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर का आवंटन किया गया था तथा पट्टा दिया जाकर भूमि पर कब्जा दिया गया। उक्त आवंटन के आवंटन पत्र में वादी की जाति चारण दर्ज है। उक्त आराजी का वादी के नाम गैरखातेदारी का नामान्तरकरण 65 दिनांक 24.05.1990 को तस्दीक कर गैरखातेदारी अधिकार दिये जाकर, उक्त आराजी को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण खोलते समय वादी की जाति चारण के स्थान पर भांभी दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी के आवंटन पत्र एवं वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 86 में वादी की जाति चारण ही दर्ज है। वादी के दस्तावेजों में भी वादी की जाति चारण ही दर्ज है। अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति भांभी के स्थान पर सही जाति चारण दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5- उपरोक्तानुसार वादी अभिभाषक की सुनी गई एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- मुताबिक आवंटन पत्र (प्रदर्श–1) वादी अमरा पुत्र डूंगा को ग्राम हीरापुर, पटवार हल्का मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला काटा की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर का दिनांक 22.06.1989 को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन पत्र में वादी की जाति चारण दर्ज है।
- उक्त आवंटित आराजी के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) संवत 2072–2075 (प्रदर्श–5) में खातेदार वादी की जाति भांभी दर्ज है।
- वादी की ओर से पेश किये गये भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या SVS0885186 (प्रदर्श–3A) व आधार कार्ड संख्या 3714 7791 9656 (प्रदर्श–4A) में धारक का पता चारण मोहल्ला अंकित है।
- वादी के खाते की अन्य आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.97 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में वादी की जाति चारण ही दर्ज है।
- वादी के खाते की अन्य आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.97 हैक्टर की खसरा गिरदावरी में

वादी की जाति चारण ही दर्ज है जबकि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर में वादी की जाति भांभी दर्ज है।

- वादी की जाति के सम्बन्ध में तहसील से प्राप्त की गई तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में भी वादी को आवंटित आराजी के खातेदार की जाति चारण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः विवादित आराजी के आवंटन पत्र एवं तहसील से जाति के सम्बन्ध में प्राप्त की गई तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरापुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.61 हैक्टर के खातेदार (वादी) की जाति की इन्द्राज दुरूस्ती कर 'भांभी' के स्थान पर 'चारण' दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/8/24

(श्रीमति [illegible] कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

अमरा उर्फ अमरलाल आत्मज डूंगा, जाति चारण, निवासी ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।

– प्रतिवादी

दावा बाबत : 88, 89, 91, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 61 / 17 (GCMS id : 2017 / 00132)
निर्णय दिनांक : 30-08-2024

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री दयाराम सेन की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 30–08–2024 को पेश होने पर विवादित आराजी के आवंटन पत्र एवं तहसील से जाति के सम्बन्ध में प्राप्त की गई तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरापुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 92 की 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 86/468 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.61 हैक्टर के खातेदार (वादी) की जाति की इन्द्राज दुरूस्ती कर 'भांभी' के स्थान पर 'चारण' दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर आज तारीख 30 अगस्त, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 30/8/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड़			जोड़		